

©

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

2019 (00134)

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

अज अदालत

बडीसादडी जि. चित्तौड़गढ़

डॉक्टर सिंह

बनाम

डॉक्टर सिंह वर्मा

किस्म मुकदमा

126 RLACT

नं.

12/19

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13/5/19	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>विनायक</u>..... ग्राम.....<u>विनायक</u>.....की आ. नं. 177, 178, 179, 180 कुल भित्त 05 की लंबाई 6-15 है। विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये 4000/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	